पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2019–20

हरियाणा राज्य में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का उद्भव 1972 में स्वतंत्र रूप से निदशालय के रूप में हुआ और तब से निरन्तर हरियाणा राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक अवशेषों के अन्वेषण, संरक्षण, रासायनिक उपचार, प्रदर्शन एवं प्रकाशन के पथ पर अग्रसर है। इस विभाग द्वारा पुरातात्विक कार्यो में आशातीत सफलता प्राप्त की गई है।

इस विभाग की अधिकतर गतिविधियां 'दी पंजाब एनसियैंट एण्ड हिस्टोरिकल मोनूमैंटस एण्ड आरक्योलोजिकल साईटस एण्ड रिमेन्ज एक्ट 1964' के अधीन आती हैं। इस विभाग का कार्य निम्नलिखित योजनाओं के अर्न्तगत किया जाता है:–

1. पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण प्रोग्राम ।
2. पब्लिकेशन / पब्लिसिटी प्रोग्राम ।
3. प्रोटैक्शन / परिजरवेशन एण्ड डिवैलपमैंट ऑफ एनसियैंट मोनूमैंटस / साईटस।
4. परिपरेशन ऑफ प्लास्टर कास्ट आफ एनसियैंट स्कल्पचरज एण्ड एण्टीक्यूटीज।
5. सैटिंग अप ऑफ स्टेट आरक्योलोजिकल म्युजियम ।
6. सैटिंग अप ऑफ जोनल म्युजियम ।
7. भवन पुरातत्व।

संगठनः–

क.सं	अधिकारी का नाम	जिस कैपेसटी में कार्य किया गया
1.	श्रीमती धीरा खण्डेलवाल आई.ए.एस.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व एंव संग्रहालय विभाग।

2. श्री अशोक खेमका आई.ए.एस. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।

3. श्री रवि प्रकाश गुप्ता आई.ए.एस निदेशक, पुरातत्व एंव संग्रहालय विभाग, हरियाणा ।

4. श्री ललित कुमार आई.ए.एस निदेशक, पुरातत्व एंव संग्रहालय विभाग, हरियाणा ।

विषयाधीन वर्ष में रवैन्यु रैकरिंग पर 2,01,00,000/–रूपये, (दो करोड़ एक लाख रूपये) की बजट की व्यवस्था थी, जिसके विरूद्ध 1,69,02,000/–रूपये (एक करोड उन्हत्तर लाख दो हजार रूपये) की राशि खर्च हुई। रवैन्यु नोन रैकरिंग पर 28,32,00,000/–रूपये (अठाईस करोड़ बतीस लाख रूपये) की बजट की व्यवस्था थी, जिसके विरूद्ध 3,65,20,000/–रूपये (तीन करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार रूपये) की राशि खर्च हुई।

उत्खनन एवं अन्वेषण:–

कुनाल, जिला फतेहाबाद मे विभाग और इण्डियन आरक्योलोजिकल सोसायटी, नई दिल्ली एंव राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसमें प्राग हडप्पन से लेकर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पुरातात्विक सामग्री, पुरावशेष तथा मिट्टी के बर्तन, मनके इत्यादि बहूमूल्य पुरावस्तुएं प्राप्त हुई।

राज्य सुरक्षा में लिये गये स्मारक/स्थल

वर्ष 2019–20 में "पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964" के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक सत्ती का तालाब एवं छतरी, होडल जिला पलवल व प्राचीन स्थल धरौंद खेड़ा (नचर खेड़ा) जींद को राज्य सुरक्षा प्रदान की गई। कोटला मस्जिद गांव कोटला जिला नूंह को राज्य सुरक्षा में लिया जाना प्रस्तावित है।

पुस्तकालय सम्बन्धी गतिविधियॉ

वर्ष 2019–20 में विभागीय पुस्तकालय के लिए 83 पुस्तकें खरीदी गई।

संरक्षण:

विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में राखीगढ़ी प्राचीन स्थल पर निर्माणाधीन स्थल संग्रहालय एवं व्याख्यान केन्द्र के निर्माण हेतू लोक निर्माण विभाग, हरियाणा को 5.00 करोड़ रूपये की राशी जारी की गई। विभाग द्वारा स्थल संग्रहालय भीमा देवी मंदिर पिंजौर में धरोहर शिक्षण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 4–5 जुलाई, 2019 को करवाया गया। विभाग द्वारा चिनाई भवन संरक्षण, सिद्वान्तों व तकनीकों पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 29 जुलाई से 2 अगस्त, 2019 को करवाया गया। विभाग द्वारा हड़प्पा सील और टैराकोटा प्रतिकृति बनाने की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 22 से 24 नवम्बर, 2019 को क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी, हिसार में किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2020 का कलैण्डर भी प्रकाशित किया गया।

प्लास्टर कास्ट:

विचाराधीन वर्ष में पुरावस्तुओं के प्रचार एवं प्रसार हेतु जनसाधारण में 9720/– रूपये की राशि के प्लास्टर आफ पैरिस के प्रति रूप की विक्रय की गई। इसके साथ विभाग द्वारा जन साधारण में सौविनियर भी 11635/–रूपये की राशि के विक्रय किए गए।

चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना:

वित्त वर्ष 2019–20 में चौकसी विभाग की सूचना शुन्य है।

(अशोक खेमका)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।

दिनांक: 10.09.2020
चण्डीगढ़